उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-3

संख्या-33/2025/ 1005/तीस-3-2025

लखनऊः दिनांक 22 अप्रैल, 2025

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम् 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, दिनांक 30 जुलाई, 2020 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करके जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गयी हों या किये जाने हेतु लोपित हों, राज्यपाल निदेश देते हैं कि नीचे अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी, उक्त अनुसूची के स्तम्भ-3 में उल्लिखित अपराध का, नीचे अनुसूची के स्तम्भ-4 और 5 में प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित धनराशि के लिए जिनके सहप्रत्यर्थी उपबंध उक्त अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित हैं, शमन कर सकते हैं :-

अनुसूची

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(1)परिवहन विभाग के अधिकारी अर्थात् :-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 122, 126 के साथ पठित धारा 177	यातायात सम्बन्धी अपराध 1- पार्किंग नियमों का उल्लघंन	रू0 500/-	रू0 1500/-
(एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7)	2- मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। टिप्पणी:- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे। 3- 12 माह से अधिक		
(2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के	मोटरयान अधिनियम,			

/shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (3) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	1988 की धारा 177 के साथ पठित धारा 47	अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर।		
	धारा 184 क, ख, घ, ङ, च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 119 के साथ पठित धारा 177	4- धारा 184क, ख, घ ड़, च में उल्लिखित अपराधों को छोडकर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुये यातायात नियमों का उल्लघंन किया जाना		
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177	5- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177	यात्रियों से सम्बन्धित अपराध 6- फुट बोर्ड पर यात्रियों के खडे होने पर		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (तेरह) के साथ पठित धारा 177	वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध 7- अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर।		
	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 28 के साथ पठितमोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 177	8- परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर।		

shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	उत्तर प्रदेश मोटर याननियमावली, 1998 के नियम 166 क के साथ पठित धारा 177	9- मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर। 10- मोटर वाहन अधिनियम या तद्धीन जारी नियमावली, विनयामवली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लघंन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विशिष्ट जुर्माना निर्धारित नहीं किया गया है।		
परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटरयान अधिनियम की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7)	मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (puc) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। टिप्पणी:- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।	रू0-500/-	रू0-1500/-
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात्:- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव,	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 178(1)	मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध 1- बिना वैध पास या टिकट के यात्रा करना। 2- मांगने पर वैध पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रू0-500/-	--
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 178(2)	मंजिली गाड़ियों में परिचालक से सम्बन्धित अपराध 1- किराया न लेना या	रू0-500/-	--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।		किराया लेने से इंकार करना। 2- टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3- अवैध टिकट देना। 4- कम किराया का टिकट प्रदान करना। 5- टिकट या पास की जांच न करना।		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 178(3)(क) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 178(3)(ख)	यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम/तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है:- (क) दो पहिया या तीन पहिया वाहन की दशा में। (ख) अन्य वाहनों की दशा में।	रू0-50/- रू0-500/-	-- --
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात्:- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिये इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हो।	रू0-2000/-	--
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु	रू0-2000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
अधिकारी (2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस, यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (3) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट		अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है	रू0-5000/-	-
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 181	धारा 3 या 4 के उपबन्धों का उल्लघंन कर यान चलाने पर।	रू0 5000/-	--
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरर्ह हो	रू0 10000/-	-
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाईसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिये निरर्ह हो	रू0 10000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) अपर परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारी; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182क (1)	जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय- सात और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लघंन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना (i) विनिर्माणकर्ता (ii) आयातकर्ता	रू0- 100000/- प्रति	--
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारी; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी		जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय- सात और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लघंन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना व्यवहारी	रू0 100000/- प्रति वाहन	--

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) उप परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारी; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182क (3)	जो कोई मोटरयान के ऐसे किसी संगठन, जिसके केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संगठन के रूप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय-सात या तद्धीन बनाये गये नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुज्ञा प्रदान करता है।	रू0-100000/- प्रति संघटक	--
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182क (4)	जो कोई मोटरयान का स्वामी होते हुए किसी मोटरयान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो	रू0-5000/- प्रति परिवर्तन	--
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात्:- (एक) अपर परिवहन आयुक्त एवं उनसे ऊपर के अधिकारी; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182ख	(i) धारा- 62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटरयान का रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर जिससे यानो की चौड़ाई ऊँचाई लम्बाई और प्रलम्भ एवं वहन किये गये भार के उपबन्धों से सम्बन्धित धारा 110 की उपधारा (1)	रु0-5000/-	रु0-10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
श्रेणी के ऊपर के अधिकारी ; (तीन) मोटरयान निरीक्षक, परिवहन विभाग		के खण्ड(क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन होता हो।		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 182ख	(ii) धारा- 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपबन्धों से सम्बन्धित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लघंन करने पर ।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओंका उल्लघंन करके कोई मोटरयान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियत्रंणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर।	(i) हल्के मोटरयान की दशा में रु0-2000/ (ii) मध्यम/ भारी यात्री/ माल यान की दशा में रु0-4000/-	अशमनीय

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।				
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम-21 की धारा- 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकडे जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	रू0-1000/-	रू0-10000/-
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रू0-1000/-	रू0-2000/-
(2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक/ उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःषक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	रू0-5000/-	रू0-10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (3) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।				
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी अर्थात :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2)पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक , उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो 1- सड़क सुरक्षा के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेट्रो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना आदि । 2- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो ; 3- ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लघंन कारक हो।	रू0-10000/-	रू0-10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (3) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट।				
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी; (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्कृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर (ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर (iii) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर। (iv) अन्य मोटरयन के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर	रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/- रु0-5000/-	रु0-10000/- रु0-10000/- रु0-10000/- रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के	मोटर यान अधिनियम,	जो कोई परमिट के बिना	रु0-10000/-	रु0-10000/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
अधिकारीअर्थात्:- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2) पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस के निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक।	1988 की धारा-66 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-192 (क)	कोई मोटरयान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बन्धित जिस पर या ऐसे क्षेत्र से सम्बन्धित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बन्धित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लघंन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।		
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी अर्थात :- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में - (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लघन करके कोई मोटर यान चलाये	रु0-20000/- और प्रति टन अधिक	--

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी		जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	भार के लिए रू0 2000/- अतिरिक्त	
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा194(1क)	जो कोई मोटरयान चलाता है या कोई मोटरयान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटरयान इस प्रकार से भारित किया जाय कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञेय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला हाने पर (1)यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	रू0-100/- रू0-20000/-	-- --
(1) परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात् :- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी	मोटर यान अधिनियम की धारा-114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लघंन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात् तुलवाने हेतु यान को रोकने या प्रस्तुत करने से इनका किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या	रू0-40000/-	--

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		हटवाये जाने पर)		
(1)परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात्:- (एक) यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी,संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2)पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात्; (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (4) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम-135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र अथवा अनुज्ञा पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर	रु0-200/- प्रति यात्री	--
	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर	रु0-1000/-	--
		मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194 ख (2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटरयान चलाने पर या कोई मोटरयान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर	रु0-1000/-
	मोटरयान अधिनियम, 1988धारा-128 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुये मोटर साईकिल चलाता है	रु0-1000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	194ग	या मोटर साईकिल चलवाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।		
	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम-121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	रू0-1000/-	--
	मोटरयान अधिनियम, 1988की धारा 194ड़	आपात यानों यथा एम्बुलेन्स, अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रूप से गुजरने देने में विफल होने पर	रु0-10000/-	-
	मोटरयान अधिनियम, 1988की धारा 194च	जो कोई मोटर यान चलाते समय 1- सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रूप से या निरंतर या आवश्यकता से अधिक बजाया जाता है या 2- निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या 3- ऐसा मोटरयान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एक्जास्ट गैस साईलेंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं।	रु0-1000/-	रु0-2000/-
	मोटरयान अधिनियम, 1988की धारा 196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटरयान चलाने के लिए अनुज्ञा देना।	रु0-2000/-	रू0-4000/-
(1)परिवहन विभाग के अधिकारीअर्थात्:-	मोटरयान अधिनियम, 1988की धारा 198	बिना प्राधिकार के यान में अनाधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	रु0-1000/-	--

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते है।	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएं जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है।	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(एक) मोटरयान निरीक्षक, यात्रीकर अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी ; (दो) विशेष सचिव, परिवहन और उनकी श्रेणी के ऊपर के अधिकारी (2)पुलिस विभाग के अधिकारीअर्थात्; (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी ; (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक, उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी; (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (3) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				

आज्ञा से,

एल0 वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-33/2025/1005(1)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना आदेश को दिनांक 22 अप्रैल, 2025 के असाधारण गजट के परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 25 प्रतियां परिवहन अनुभाग-3, कक्ष संख्या-323, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

संख्या-33/2025/1005(2)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग (विज्ञापन प्रभाग), उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए, उनकी प्रतियां शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

संख्या-33/2025/1005(3)/तीस-3-2025 तददिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
(2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, कार्मिक/वित्त/न्याय विभाग/गृह/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
(3) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।
(4) समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(5) समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(6) अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), उ0प्र0।
(7) समस्त उप परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(9)समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी(प्रशासन/प्रवर्तन), उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(10) समस्त मोटर यान निरीक्षक, उ0प्र0 (द्वारा परिवहन आयुक्त, उ0प्र0)।

(11) परिवहन अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन।

(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

नितिन कुमार गुप्त
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Uttar Pradesh Shasan
Parivahan Anubhag-3

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 33/2025/ 1005 /XXX-3-2025 dated 22 April, 2025

Notification
No. 33/2025/1005/XXX-3-2025
Lucknow; Dated : 22 April, 2025

In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of section 200 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) read with section 21 of General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) and in supersession of Government notification no. 10/2020/752/XXX-4-2020-1(sa)2017 dated July 30, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Governor is pleased to direct that the officers mentioned in Column-I of the Schedule below may compound the offences mentioned in Column-III of the said Schedule, corresponding provisions whereof are mentioned in Column-II of the said Schedule for the amount mentioned against each in Columns-IV and V of the Schedule below.

SCHEDULE

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(1) Officials of Transport Department, namely :- (i) Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department namely, :- (i) Gazetted Officers of	Section 177 read with Sections 122, 126 of the Motor Vehicles Act, 1988	Traffic related offence: 1. Violation of parking rules.	500/-	1500/-
	Section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with Section 130 and Rule 15(7) of the Central Motor Vehicles Rules, 1989	2. Failure to present certificate of Registration, Permit, Certificate of Fitness, Driving License, Pollution under control Certificate on demand NOTE: Documents in electronic form in DigiLocker will be accepted.		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
Civil Police/ Traffic Police (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (3) All Executive Magistrates	Section 47 read with Section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988	3. Using registration mark of other States for a period exceeding 12 months.		
	Section 177 of the read with the Section 119 of the Motor Vehicles Act, 1988 except the offences mentioned in Section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988	4. Violation of traffic rules by the driver except the offences mentioned in Section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988 without any indication changing the alignment.		
	Section 177 of the read with section 6(2) of the Motor Vehicles Act, 1988	5. Providing driving licence to another person.		
	Section 177 read with Section 123 of the Motor Vehicles Act, 1988	<u>Passengers related offence:</u> 6. Passengers standing on Footboard.		
	Section 177 read with Section 72 (xiii) of the Motor Vehicles Act, 1988	<u>Commercial Vehicles related offence:</u> 7. Charging more than permissible fare.		
	Section 177 of the Motor Vehicles Act,	8. Not displaying essential required information in Transport Vehicles.		

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
	1988 read with Rule 28 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998			
	Section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 166A of the Uttar Pradesh Motor Vehicle Rules, 1998	9. Non functioning of fare meter in Motor Cab. 10. Other offences violating the Motor Vehicles Act, 1988 or any of the provisions of the Rules, Regulations or Notifications issued there under, not mentioned above and for which specific fine is not prescribed.		
Officials of Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle Inspector, Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Section 177 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with Section 130 of the Motor Vehicles Act, 1988 and Rule 15(7) of Central Motor Vehicles Rules, 1989	11. Failure to present Certificate of Registration, Permit, Certificate of Fitness, Driving Licence, Pollution under Control Certificate on demand NOTE: Documents in electronic form in DigiLocker will be accepted.	500/-	1500/-
(1) Officials of Transport Department, namely :- (i) Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer;	Section 178(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	<u>Offences related with Passengers of Stage Carriage Vehicles:</u> 1. Travelling without valid ticket or pass. 2. Denial to showing ticket or pass when asked for.	500/-	-
	Section 178(2) of the Motor	<u>Offences related with conductors of Stage Carriage</u>	500/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) All Executive Magistrates	Vehicles Act, 1988	<u>Vehicles:</u> 1. Not accepting the fare or denial to accept the fare. 2. Not issuing ticket or denial to issue ticket. 3. Supplying invalid ticket. 4. Supplying ticket of less fare. 5. Not checking ticket or pass.		
		If the holder of a permit or driver of a contract carriage refuses, in contravention of the provisions of the Motor Vehicles Act, 1988 or the rules made thereunder to ply the contract carriage or to carry the passengers: –		
	Section 178(3)(a) of the Motor Vehicles Act, 1988	(a) in case of two-wheeler or three-wheeler motor vehicles;	50/-	-
	Section 178(3)(b) of the Motor Vehicles Act, 1988	(b) in other cases.	500/-	-
(1) Officials of Transport Department, namely :- (i) Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer;	Section 179(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	Disobedience of any lawful direction given by the Authority or creating obstruction in the discharge of any function which authorities are required to discharge or are empowered under the Motor Vehicles Act, 1988 to discharge.	2000/-	-
	Section 179(2) of the Motor	Refusal to give information required to be supplied under	2000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Vehicles Act, 1988	the Motor Vehicles Act, 1988 or giving false information which he believes not to be true.		
(2) Officials of Police Department, namely :- (i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police; (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police; (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment. (3) All Executive Magistrates	Section 180 of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, being the owner or person incharge of motor vehicle, causes or permits, any other person who does not satisfy the provisions of Section 3 or Section 4 of the Motor Vehicles Act, 1988 to drive the vehicle.	5000/-	-
	Section 181 of the Motor Vehicles Act, 1988	Driving vehicles in contravention of Section 3 or Section 4 of the Motor Vehicles Act, 1988	5000/-	-
	Section 182(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	Driving of vehicle by a person who is disqualified under the Motor Vehicles Act, 1988 for holding or obtaining driving licence.	10000/-	-
	Section 182(2) of the Motor Vehicles Act, 1988	Acting as a conductor of stage carriage by a person who is disqualified under the Motor Vehicles Act, 1988 for holding or obtaining conductor licence.	10000/-	-
(1) Officials of Transport Department, namely :- (i) Additional Transport Commissioner and above; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Section 182(A) of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, being a Manufacturer, Importer or Dealer of motor vehicles sells or delivers or alters or offers to sell or deliver a vehicle that is in contravention of the provisions of Chapter VII of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules and regulations made thereunder. Manufactures Importer	100000/-per vehicle	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(1) Officials of Transport Department,namely :- (i) Deputy Transport Commissioner and above ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.		Whoever, being a Manufacturer, Importer or Dealer of motor vehicles sells or delivers or alters or offers to sell or deliver a vehicle that is in contravention of the provisions of Chapter VII of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules and regulations made thereunder. Dealer	100000/-per vehicle	-
(1) Officials of Transport Department, namely:- (i) Deputy Transport Commissioner and above ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Section 182A(3) of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, sells or offers to sell or permits the sale of any component of a motor vehicle which has been notified as a critical safety component by the Central Government and which does not comply with the provisions of Chapter VII of the Motor Vehicles Act, 1988 and the rules and regulations made thereunder.	100000/- per component	-
Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle Inspector, Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Section 182A(4) of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, being an owner of motor vehicle alters a motor vehicle in a manner not permitted under the Motor Vehicles Act, 1988 or the rules and regulations made thereunder.	5000/- per alteration	-
Officials of the Transport Department, namely :-	Section 182B of the Motor Vehicles Act, 1988	(i) Violation of Section 62A(1): (On registration of any motor vehicle that contravenes any rule made under clause (A) of sub-	5000/-	10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(i) Additional Transport Commissioner and above ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above; (iii) Motor Vehicle Inspector, Transport Department		section (1) of Section 110 relating to the provisions of the width, height, length and overhang of vehicles and of the loads carried.)		
	Section 182B of the Motor Vehicles Act, 1988	(ii)Violation of Section 62A(2): (On contravention of any rule made under Section 110 relating to the provisions of issuing the Certificate of Fitness by any prescribed authority or authorized testing station.)	5000/-	10000/-
(1) Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle Inspector, Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely :- (i) Gazetted Officers of Civil Police/ Traffic Police (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their	Section 183(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	Driving a motor vehicle or causing any person, who is employed by him or is subject to his control in driving, to drive a motor vehicle in contravention of the speed limits referred to in Section 112 of the Motor Vehicles Act, 1988.	(i) In case of light motor vehicle 2000 / - (ii) In case of medium / heavy passenger / goods vehicle 4000 / -	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
appointment (3) All Executive Magistrates.				
(1) Officials of the Transport Department, namely :- (i) Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely:- (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police; (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police; (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment. (3) All Executive Magistrates.	Explanation (c) to Section 184 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 21 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989	Use of handheld communications devices while driving.	1000/-	10000/-
	Section 186 of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever drives a motor vehicle in any public place when he is to his knowledge suffering from any disease or disability calculated to cause his driving of the vehicle to be a source of danger to the public.	1000/-	2000/-
	Section 189 of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, without the written consent of the State Government permits or takes part in a race or trial of speed between motor vehicles in any public place.	5000/-	10000/-
(1) Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle	Section 190(2) of the Motor Vehicles Act, 1988	Any person who drives or causes or allows to be driven in any public place, a motor vehicle in contravention of the	10000/-	10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
Inspector, Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely :- (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police; (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police; (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (3) All Executive Magistrates		standards prescribed in relation to: (i) road safety such as without reflector, not fitted with retro reflective tape as per standards, non-installation of speed limit device in commercial vehicles as per standards; (ii) violation of prescribed standards in relation to air pollution; (iii) violation of prescribed standards in relation to noise pollution.		
(1) Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle Inspector, Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary,	Section 192 read with section 39 and 56 of the Motor Vehicles Act, 1988 Section 192 of the Motor Vehicles Act, 1988 read with	(i) On the operation of motor vehicle without registration or with suspended or cancelled registration. (ii) On the operation of vehicle without valid certificate of fitness. (iii) Carrying registration mark displayed in the vehicle not in the prescribed manner. (iv) Displaying other motor vehicle's Registration No. on	5000/- 5000/- 5000/-	10000/- 10000/- 10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
Transport and above. (2) Officers of Police Department, namely:- (i) Gazetted Officer of Civil Police / Traffic Police; (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police; (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment.	Rule 51 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989	one's vehicle.	5000/-	10000/-
(1) Officials of the Transport Department, namely:- (i) Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer, Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely :- (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police; (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic	Section 192(A) read with section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, drives a motor vehicle without permit or causes or allows a motor vehicle to be driven in contravention of any condition of a permit relating to the route on which or the area in which or the purpose for which the vehicle may be driven.	10000/-	10000/-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
Police; (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment.				
Officials of the Transport Department, namely :- (i) Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Section 194(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	In the case of driving vehicle exceeding permissible weight: (A) A motor vehicle to be driven in contravention of the provisions of section 113 and 115 of the Act; and (B) If a motor vehicle has excess load per ton of excess load.	20000 / - and 2000 / - extra for every excess ton	-
Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle inspector, Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above	Section 194(1A) of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, drives a motor vehicle or causes or allows a motor vehicle to be driven when such motor vehicle is loaded in such a manner that the load are any part thereof or anything extends laterally beyond the side of the body or the front or to the rear of height beyond the permissible limit: (i) if the load is agricultural product; (ii) any other load.	 100/- 20000 / -	 - -
Officials of the Transport Department, namely:-	Section 194(2) read with section 114 of the Motor	Driving vehicle or causing or allowing a vehicle to be driven violating the provisions of	40000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
(i) Passenger Tax Officer, Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii)Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above.	Vehicles Act, 1988	Section 114 (refusing to stop and submit the vehicle for weighing after been directed to do so by an officer authorized in this behalf or removing or causing the removal of the load or part of in prior to weighing)		
(1) Officials of the Transport Department, namely:- (i)Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii)Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely :- (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their	Section 194(A) of the Motor Vehicles Act, 1988 read with rule 135 of Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998	Carrying excess passengers in passenger transport vehicle above the limit as approved in registration certificate or permit.	200/- per passenger	-
	Section 194B(1) of the Motor Vehicles Act, 1988	Failure to use safety belt while driving or carrying a passenger not wearing safety belt.	1000/-	-
	Section 194B(2) of the Motor Vehicles Act, 1988	Driving a motor vehicle or causing or allowing a motor vehicle to be driven with a child who, not having attained the age of 14 years, is not secured by a safety belt or a child restraint system.	1000/-	-
	Section 194C of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever, drives a motorcycle or causes or allows a motorcycle to be driven carrying more than one person in addition to himself.	1000/-	-
	Section 194D read with section 129 of the Motor Vehicles Act, 1988 and rule	Violation of not wearing helmet.	1000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
appointment (3) All Executive Magistrates	121 Uttar Pradesh Motor Vehicles Rules, 1998			
	Section 194E of the Motor Vehicles Act, 1988	Failure to allow free passage to emergency vehicles like ambulance, fire fighting vehicle, etc.	10000/-	-
	Section 194F of the Motor Vehicles Act, 1988	Whoever while driving a motor vehicle: 1. (i) sounds the horn needlessly or continuously or more than necessary to ensure safety; or 2. (ii) sounds the horn in prohibited area; or 3. (iii) drives a motor vehicle which makes use of a cutout by which exhaust gases are released other than through the silencer.	1000/-	2000/-
	Section 196 of the Motor Vehicles Act, 1988	Driving or allowing an uninsured motor vehicle to be driven.	2000/-	4000/-
(1) Officials of the Transport Department, namely :- (i) Motor Vehicle Inspector, Passenger Tax Officer , Assistant Regional Transport Officer , Regional Transport Officer ; (ii) Officers of the rank of Special Secretary, Transport and above. (2) Officials of Police Department, namely	Section 198 of the Motor Vehicles Act, 1988	Unauthorized interference or tampering with vehicle without authorization.	1000/-	-

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

Officials who can compound the offences	Sections of the Motor Vehicles Act, 1988 under which an offence is to be compounded	Description of offences	The amount of compounding fees	
			In case of first offence	In case of second or subsequent offence
I	II	III	IV	V
:- (i) Gazetted Officers of Civil Police / Traffic Police (ii) Inspector, Sub-Inspector and Head Constable of Traffic Police (iii) Inspector and Sub-Inspector of Civil Police, in the jurisdiction of the station area of their appointment (3)All Executive Magistrates.				

By order,

L. Venkateshwar Lu
Principal Secretary.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।